अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/334/225 बुद्धालाल V/s पुखराज

तारीख	2022/334 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री N.S. राजावत AD श्री	

14/11/22

बुद्धालाल बनाम पुखराज(फौत) नारायण वगैरह (334/2022)
पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.11.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 50/2022 पर सुनवाई किये जाने के पश्चात पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रेकार्ड होने से दुरूस्त/संशोधित किये जाने योग्य है। अपील में वर्णित कृषि भूमियॉ अवस्थित ग्राम चावण्डिया व ग्राम बांसेली प्रार्थीगण/अपीलांटस के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर प्रार्थीगण/अपीलांट के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के तहत् जन्म से अविभाजित 1/5 खातेदारी हक–अधिकार व आधिपत्य निहित करता है जिसके आधार पर ग्राम बांसेली, तहसील पुष्कर अवस्थित कृषि भूमियों में विरासत के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलांट के नाम खातेदारी स्वीकृत कर दी गई परन्तु ग्राम चावण्डिया अवस्थित उक्त वर्णित कृषि भूमियों के बाबत् गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कारित किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण प्रमाणित राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्णतयो प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में प्रमाणित होने के उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पर विधिवत सुनवाई किये जाने के उपरान्त भी स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवेचन व विश्लेषण किये बिना आदेश दिनांक 18.10.2022 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि किये जाने से आदेश दिनांक 18.10.2022 परिवर्तित/संशाधित कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किय जाने हेतु यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीया/अपीलांट के अधिवक्ता को सुने जाने के उपरान्त भी स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर आदेश दिनांक 18.10.2022 पारित करते हुए जानबूझकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को एक प्रकार से अविधिक कृत्य किये जाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है जो न्याय की कतई मंशा नहीं है। पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है जिसके बाबत् अविधिक रूप से स्वीकृत विरासत नामान्तकरण के आधार पर दर्ज खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पैतृक सहखातेदारी भूमि में से वर्तमान खसरा नम्बर 35 व 35/1596 को अविधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 06 के हक में अन्तरण कर दिये जाने से प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने पर आमादा है और यदि वह अपने अविधिक कृत्य में सफल हो जाते हैतो प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद एवं अपील प्रस्तुत किये जानेका आशय ही समाप्त होकर प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा। प्रकरण में वर्णित अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानो के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं कानून, न्याय व समानता प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में विद्यमान करते है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 818, 816, 815, 820, 817, 820मिन, 821, 819, 824,822, 835, 835/1596, 825, 829, 830, 824/1363 भूमि को किसी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

– – – – क्रमशः

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

334/2022/225 बुद्दालाल V/s पुखराज

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	2022/334	
	श्री N.S. राजावत AD श्री	

लगातार

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 18.10.2022 को यह आदेश पारित किये है कि "प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 07.12.2022 को पेश हो।" प्रार्थीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2022 की पालना जारी किये गये नोटिस लौट कर नही आने से पूर्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थीया/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश के प्रति चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है, चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 , 209 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययंता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निस्तारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाव व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। पक्षकार को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.12.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर